झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका सं० - 4215/2022

---

1. पिंटू रविदास उम्र लगभग 33 वर्ष पिता अमृत रबीदास
2. अमृत अमृत रबीदास @ अमृत चमार उम्र लगभग 67 वर्ष पिता बृहस्पति चमार
3. चिंति देवी उम्र लगभग 49 वर्ष पति अमृत रबीदास
4. गणेश रबीदास उम्र करीब 44 वर्ष पिता अमृत रबीदास
5. योगेन्द्र रविदास उर्फ योगेन्द्र कुमार उम्र लगभग 22 वर्ष पिता अमृत रविदास,

सभी निवासी जीतपुर माली बगान डाकघर - गोमो, थाना - हरिहरपुर, जिला - धनबाद ..... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. झारखण्ड राज्य
2. काजल कुमारी रविदास पिता फुलेश्वर रबीदास निवासी लोको बाजार हटियेटर, डाकघर - गोमो, थाना - हरिहरपुर, जिला - धनबाद ..... **विपक्ष**

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री कल्याण बनर्जी, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री विनीत कुमार वशिष्ठ, विशेष पी.पी.

विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से : श्री आनंद कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका धारा 482 सी.आर.पी.सी के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए सी.पी. केस संख्या 5989/2022 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, साथ ही दिनांक 23.08.2022 के संज्ञान लेने के आदेश को भी रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, धनबाद ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और दहेज

निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया है और उक्त मामला अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, धनबाद की अदालत में लंबित है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता की याचिकाकर्ता संख्या 1 के साथ शादी के बाद, याचिककर्तायें 5,00,000/- रुपये के दहेज की मांग के संबंध में शिकायतकर्ता के साथ क्रूरता से पेश आ रहे थे।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज करने के उसी दिन, पारिवारिक न्यायालय, धनबाद में भरण-पोषण प्रदान करने की प्रार्थना के साथ सी.आर.पी.सी की धारा 125 के तहत एक आवेदन भी दायर किया था और मूल भरण-पोषण वाद संख्या 298/2022 में अपने बयान में, शिकायतकर्ता ने कहा है कि वह 05.05.2022 को अपने पैतृक घर पर थी। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी.पी. मामला संख्या 5989/2022 और साथ ही दिनांक 23.08.2022 का संज्ञान लेने का आदेश जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, धनबाद ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया है; जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, धनबाद की अदालत में लंबित है, को रद्द कर दिया जाए।

5. दूसरी ओर राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक और विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील सी.पी. केस संख्या 5989/2022 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ-साथ दिनांक 23.08.2022 के संज्ञान लेने के आदेश का पुरजोर विरोध करते हैं, जिसके द्वारा धनबाद के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया है। विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराध करने का प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि मूल भरण-पोषण वाद संख्या 298/2022 में शिकायतकर्ता की गवाही केवल

इस मामले में गंभीर प्रतिज्ञान पर बयान में किए गए कथनों की पुष्टि करती है क्योंकि इस मामले में भी गंभीर प्रतिज्ञान पर अपने बयान में, शिकायतकर्ता ने कहा है कि वह 05.05.2022 को अपने पैतृक घर पर थी और दोनों के बीच बिल्कुल भी विरोधाभास नहीं है। फिर यह प्रस्तुत किया गया कि इसलिए, सी.पी. को रद्द करने का कोई तुक या कारण नहीं है। मामला संख्या 5989/2022 और साथ ही दिनांक 23.08.2022 का संज्ञान लेने का आदेश जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, धनबाद ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया है और इस प्रारंभिक चरण में, जब निर्विवाद रूप से शिकायत में किए गए कथन, शिकायतकर्ता के गंभीर प्रतिज्ञान पर बयान और शपथ पर जांच गवाहों के बयान से भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराध का खुलासा होता है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के खारिज कर दी जाए।

6. बार में प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और अभिलेख में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि निर्विवाद रूप से शिकायत में लगाए गए आरोप, शिकायतकर्ता के गंभीर प्रतिज्ञान के तहत बयान और जांच गवाहों के बयान भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराध बनाते हैं क्योंकि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सह-आरोपियों के साथ समान इरादे को आगे बढ़ाने, दहेज की मांग को पूरा न करने के संबंध में शिकायतकर्ता के साथ क्रूरता से पेश आने और दहेज की मांग करने और दहेज की अपनी अवैध मांग को स्वीकार करने के लिए शिकायतकर्ता पर दबाव डालने का विशिष्ट आरोप है।

7. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि उच्च न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए वैध अभियोजन को बाधित नहीं करना चाहिए, जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मोनिका कुमार (डॉ.) और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2008) 8 एससीसी 781** के मामले में माना है।

8. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, यह न्यायालय इस विचार पर है कि सी.पी. केस संख्या 5989/2022 की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही या उस मामले के लिए दिनांक 23.08.2022 के संज्ञान लेने के आदेश को रद्द करने का कोई उचित कारण नहीं है, जिसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया है, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, धनबाद की अदालत में लंबित है।

9. तदनुसार, याचिकाकर्ताओं द्वारा सी.पी. केस संख्या 5989/2022 की सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना तथा दिनांक 23.08.2022 के संज्ञान आदेश को रद्द करने की प्रार्थना, जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, धनबाद ने याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया था, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, धनबाद के न्यायालय में लंबित है, को खारिज किया जाता है तथा फलस्वरूप यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के खारिज की जाती है।

10. तत्काल आपराधिक विविध याचिका के निपटारे के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं को दिनांक 28.08.2023 के आदेश द्वारा दी गई अंतरिम राहत रद्द की जाती है।

11. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह संबंधित न्यायालय को तत्काल सूचित करें।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 28 नवंबर, 2023
एएफआर/ अनिमेष

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।